रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2017, शनिवार/चैत्र 26—वैशाख 2, 1939

No. 15] NEW DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2017, SATURDAY/CHAITRA 26—VAISAKHA 2, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

**सा.का.नि. 121.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में,–

(I) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

(iii) in serial number 2, against the post of Personal Assistant (Hindi), –

(a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:–

"Level 6 in the pay matrix Rs.35400 – 112400.";

(b) in column (10), under the sub-heading 'By direct recruitment', in item (a), for sub-items *(ii)* and *(iii)*, the following sub-items shall be substituted, namely:—

"*(ii)* with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 5 in the pay matrix Rs.29200 - 92300 or equivalent in the parent cadre or department; or

*(iii)* with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 4 in the pay matrix Rs.25500 - 81100 or equivalent in the parent cadre or department;";

[F.No. A-12018/1/2009-Admn. I (LD)]
B.M. SHARMA, Dy. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 101, dated the 2nd June, 2015.

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2017

**सा.का.नि. 135.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उसका संबंध वैज्ञानिक सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, वैज्ञानिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता .**- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है : उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति .**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| वैज्ञानिक सहायक | 06* (2017)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय | स्तर – 4 (25500 -81100 रु.) | अचयन | लागू नहीं होता । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । | **प्रोन्नति :** ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने स्तर –3 (21700-69100 रु.) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**प्रतिनियुक्ति :-** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी ;<br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है ; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर –3 (21700 – 69100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में पांच वर्ष सेवा की हो । |

| | |
|---|---|
| | **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br>**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br>1. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी, चेन्नई - अध्यक्ष<br>2. उप सहायक निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी, चेन्नई - सदस्य<br>3. तकनीकी अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी, चेन्नई - सदस्य | लागू नहीं होता । |

[फा. सं. ए-12018/15/2015-ईपीआई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th April, 2017

**G.S.R. 135.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C'posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Scientific Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely:-

1. **Short title and commencement .-** (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Scientific Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification. | Level in the pay matrix | Whether selection post or non – selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Scientific Assistant | 6*<br>2017<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial | Level- 4<br>(Rs.25500-81100/-) | Non-selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By promotion failing which by deputation | **Promotion:**<br>Laboratory Assistant in the level-3 (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade.<br>**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or | **Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br>(1). Director, BCG Vaccine Laboratory, Guindy Chennai – Chairman<br>(2). Deputy Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai –Member<br>(3).Technical Officer, BCG Vaccine Laboratory, Guindy Chennai – Member | Not applicable. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | eligibility service.<br>Deputation:<br>Officers of the Central Government;<br>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with five years service in the level rendered after appointment their to on regular basis in the level-3 (Rs. 21700-69100/-) or equivalent in the parent cadre/ department;<br>**Note 1:** Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications. | | |

[F. No. A-12018/15/2015-EPI]
B.L. MEENA, Under Secy.

---

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

**सा.का.नि. 136.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह 'ग' तथा 'घ' पद)] भर्ती नियम, 2004, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में